रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एच० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 मार्च, 1985/2 चैत्र, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जनवरी, 1985

संख्या 6-76/83-परिवहन.—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू काश्मीर राज्य और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक वाहनों पर संलग्न परस्पर अनुबन्ध को अनुबन्ध में उल्लिखित तिथि से प्रभाव में लाने के लिए प्रकाशित करते हैं। उक्त अनुबन्ध करने का प्रस्ताव दिनांक 31-3-1984 के असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 15-2-1984 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

आदेश से,
हर्ष गुप्ता,
सचिव।

224-राजपत्र/85-23-3-85—1,140.

मूल्य : 20 पैसे।

नौथ जोन परस्पर करार

परस्पर करार लोक वाहनों के सम्बन्ध में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के संघ राज्यों के बीच

यह करार आज 11वें दिन जुलाई, 1984 को बिहार के राज्यपाल, प्रथम पक्षकार, हरियाणा के राज्यपाल, द्वितीय पक्षकार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तृतीय पक्षकार, पंजाब के राज्यपाल, चतुर्थ पक्षकार, राजस्थान के राज्यपाल, पंचम पक्षकार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, छठा पक्षकार, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, सातवां पक्षकार, जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल, आठवां पक्षकार संघ क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए तथा उसकी ओर से भारत के राष्ट्रपति, नवां पक्षकार, संघ क्षेत्र दिल्ली के लिए तथा उसकी ओर से भारत के राष्ट्रपति, दसवां पक्षकार के बीच तय किया गया ।

चूंकि दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और दसवें पक्षकारों के बीच हुए करार द्वारा, उक्त पक्षकारों ने उक्त करार में दिए हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर उक्त राज्यों द्वारा और उनके बीच लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय माल परिवहन को प्रोत्साहन देने के विचार से परस्पर करार किया ।

और चूंकि परस्पर करार द्वारा इसके पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के उक्त करार के निबन्धनों तथा शर्तों में उपान्तरण किया जाए और विद्यमान करार के आंशिक उपांतरण में यहां दिए के अनुसार करार करने का विनिश्चय किया गया ।

उक्त पक्षकार द्वारा और उनके बीच अब निम्नानुसार करार पाया गया है :

I. कि यह परस्पर करार पहली अप्रैल, 1984 को लागू होगा और 31 मार्च, 1989 तक विधिमान्य रहेगा । इसे आगामी ऐसी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जिसके लिए इस करार के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा परस्पर सहमति हो । हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में से किसी राज्य द्वारा लिखित कारणों के आधार पर परस्पर करार, तीन मास के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है । तथापि ऐसा रद्दकरण इस करार के परिचालन में केवल इस सीमा तक कमी लायेगा और इसमें उपांतरण करेगा जहां तक यह अलग होने वाले राज्यों से सम्बन्ध रखता हो । शर्त यह है कि इस करार के अधीन पहले से जारी किए गए अनुज्ञापत्र तब तक विधिमान्य रहेंगे जब तक कि उन अनुज्ञापत्रों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती और इसके लिए इस करार से राज्य अथवा राज्यों द्वारा अलग हो जाने को ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

II. बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, चण्डीगढ़ और दिल्ली राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए ऐसे वाहनों की कुल संख्या, जिनके लिए संयुक्त अनुज्ञापत्र जारी किए जायेंगे, साढ़े चार सौ से अधिक नहीं होगी । प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संयुक्त अनुज्ञापत्र, परिचालन के लिए चुने हुए सभी राष्ट्रीय तथा राज्य राज मार्गों के लिए विधिमान्य होंगे । प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य में इन राष्ट्रीय और राज्य राज मार्गों की सूची अनुबन्ध VI के रूप में यहां संलग्न है । सक्षम परिवहन प्राधिकारी इस करार (अनुबन्ध I) से संलग्न प्ररूप में ऐसे प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी को एक प्राधिकार भी जारी करेगा और ऐसा प्राधिकार उस अवधि के लिए तदनुरूप होगा जिस अवधि के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त हो चुका है परन्तु प्राधिकार एक समय में एक वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं होगा । यदि यह प्राधिकार एक वष (वित्त वर्ष) के दौरान जारी किया जाता है तो यह उस वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जायगा ।

तथापि ऐसे प्राधिकार के अधीन चलने वाले किसी भी सार्वजनिक वाहन को विनिर्दिष्ट मार्गों के किसी भी ओर तीस किलोमीटर की दूरी तक विनिर्दिष्ट मार्गों से इधर उधर जाने की छूट होगी।

III. (i) संयुक्त अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक आवेदक को इस करार की तिथि से परिचालन के लिए कम से कम तीन राज्यों को अर्थात् अपना राज्य और शेष नौ राज्यों में से अन्य कोई दो राज्य चुनने पड़ेंगे।

(ii) यदि कोई संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी परिचालन के लिए निकटवर्ती किसी ऐसे राज्य को नहीं चुनता जिसमें से उसके वाहन को स्कीम के अधीन परिचालन के लिए चुने गए किसी अन्य राज्य में पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है तो अनुज्ञापत्रधारी को "रास्ते में पड़ने वाले राज्य" को पूरे करों का भुगतान करना पड़ेगा।

(iii) किसी राज्य के संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी को द्विपक्षीय करार के अधीन पृथक रूप से शामिल किसी अन्य राज्य में परिचालन की अनुमति होगी। किन्तु उस वाहन की उसी राज्य में संयुक्त अनुज्ञापत्र स्कीम और द्विपक्षी करार स्कीम दानों के लिए उपयोग में लाए जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) किसी संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी द्वारा एक बार लिए गए विकल्प को एक वर्ष की अवधि से पहले बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(v) इस बात के होते हुए भी संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी को उक्त उप-खण्ड (4) के अनुसार एक बार अपनाए गए विकल्प को एक वर्ष की अवधि से पहले बदलने की अनुमति नहीं होगी, संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी अपने विकल्प पर अपने प्राधिकार में "जोन" के अन्तर्गत आने वाले राज्य या राज्यों को मिलाने के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय आ सकता है, परन्तु यह तब जब कि वह वर्ष के लिए पूरा कर अदा करने के लिए समहत हो। एक बार दिए गए प्राधिकार की अवधि के दौरान एक बार वैकल्पित राज्य अथवा राज्यों की वहिष्कृत करने को अनुमति नहीं दी जायगी।

IV. इस करार के अधीन चलने वाला लोक वाहन अपने राज्य के मार्गों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के चलने के लिए अनुमत होगा जब कि अपने राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में चलते समय ऐसा लोक वाहन विनिमयी राज्यों को पूर्ण अधिकारिता में आने वाले किन्हीं दो स्थानों के बीच से न तो माल का लदान करेगा और न ही उसे उतारेगा अर्थात् एसे मामलों में कोई भी अन्तर्राज्यीय कारोबार करने पर वाहनों पर प्रतिबन्ध होगा।

V. इस करार के अन्तर्गत चलने वाला लोकवाहन निम्नलिखित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन होगा :—

(1) इस करार के अधीन ऐसा कोई वाहन प्राधिकृत न किया जाये:—
(क) जो प्राधिकार देने के लिए दिए गए आवेदन की तिथि को चार वर्ष से अधिक पुराना हो और किसी भी समय नौ वर्ष से भी पुराना हो;
(ख) जिस पर विनिहित चिह्न और विशिष्ट ब्योरे अंकित न हों और जो विहित रंग स्कीम के अनुसार पेंट न किया गया हो, जैसा कि यहां संलग्न सूची अनुबन्ध 5 में दिया गया है; और
(ग) यहां अनुबन्ध 5 में संलग्न स्कीम में विनिर्दिष्ट नमूने के अनुसार बाडी में जिसकी फिटिंग न की गई हो।

(2) इस करार के अधीन चलने वाला लोक वाहन संलग्न अनुसूची (अनुबन्ध 3) में विहित प्ररूप में लदान पत्र हर समय अपने साथ रखेगा। माल का लदान यदि लदान पत्र में की गई घोषणा के अनुसार नहीं है तो ऐसा समझा जायेगा कि अनुज्ञापत्र की शर्त का उलंघन हुआ है और

इस प्रकार अनुज्ञापत्रधारी मोटर यान अधिनियम 1939, की धारा 60 के अधीन जिम्मेदार होगा ।

(3) ऐसे वाहन मोटर यान अधिनियम के सभी उपबंधों और मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन अपने राज्य द्वारा बनाए गए मोटर यान नियमों के उपबन्धों के अनुरूप होंगे तथा उनका पालन करेंगे ।

(4) इस करार के अधीन चलने वाले लोक वाहन को परिचालन के लिए चुने गए हस्ताक्षर कर्ता राज्यों में सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चलने की अनुमति होगी विशेषतया हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि के पहाड़ी क्षेत्रों के वाहनों की दशा में परिचालन भार और उन प्रतिबन्धों के अधीन होगा जो सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष रास्ते/क्षेत्र के लिए लगाए जाएं । (अपना) राज्य आवश्यकतानुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और उत्तर प्रदेश आदि पहाड़ी राज्यों के संबन्ध में विशेष अनुज्ञापत्र पर ऐसा उपयुक्त पृष्ठांकन कर सकता है कि इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(5) ऐसे वाहन का पात्रता प्रमाणपत्र अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित तथा रद्द किया जा सकता है यदि वह इसमें संलग्न अनुसूची (अनुबन्ध 5) में दिए गए ब्योरे के अनुसार फिटिंग, रंग और बाडी विशिष्टियों से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार नहीं पाया जाता है ।

(6) ऐसे वाहन के साथ सदैव इस करार के अधीन दिए गए और अपने राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन जारी किए गए संलग्न अनुसूची (अनुबन्ध-1) में वर्णित प्ररूप में विधिमान्य प्राधिकार रहेगा ।

(7) इस करार के अधीन चलाने वाला कोई भी प्राधिकार धारी संलग्न अनुसूची (अनुबन्ध-4) में दिए गए ब्योरे के अनुसार विहित प्ररूप में ऐसे वाहन के सम्बन्ध में चार प्रतियों में एक त्रैमासिक विवरण अपने राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को भेजेगा, जो उनकी प्रतियों को अन्य हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरणों के सचिवों को भेजेगा।

(8) ऐसा वाहन हर समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ रखेगा:—
(क) पात्रता का विधिमान्य प्रमाणपत्र ।
(ख) पंजीकरण प्रमाणपत्र ।
(ग) लदान-पत्र/पत्रों जिसमें/जिनमें वाहन में वास्तव में उस समय चढ़ाया गया माल दर्ज हो।

VI. विशेष करार के अधीन जारी प्राधिकार के अधीन चलने वाले वाहन को सहायक निरीक्षक मोटर-यान या उप-निरीक्षक पुलिस की पदवी के अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसकी पदवी से हस्ताक्षरकर्ता राज्य परस्पर सहमत हो, इस करार के उपबन्धनों को लागू कराने के प्रयोजनों के लिए रोका जा सकता है और इसका निरीक्षण किया जा सकता है । एसा निरीक्षण अधिकारी तीन प्रतियों में जांच रिपोर्ट करेगा जिसकी एक प्रति वाहन के कार्यभारी व्यक्ति को दी जायेगी और दूसरी प्रति अपने राज्य के सक्षम परिवहन अधिकारी को भेजी जायेगी और तीसरी सम्बद्ध राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकारी को भेजी जायेगी । जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर अपने राज्य का सक्षम परिवहन प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।

VII. (1) प्राधिकार के अधीन चलने वाले संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी को निम्नलिखित भुगतान करना पड़ेगा:—
(क) मोटर यान कर और अपने राज्य में लिया जाने वाला माल कर;

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में वर्णित करों के बदले 500 रुपये प्रति वर्ष देहली को यदि इसे परिचालन के लिए चुना गया हो । उक्त खण्ड (क) में वर्णित करों के बदले 250 रुपये की राशि प्रति वर्ष चण्डीगढ़ को यदि यह परिचालन के लिए चुना गया है, और उक्त खण्ड (क) में वर्णित करों के बदले अपने राज्य को छोड़ कर अपने वैकल्पिक शेष राज्यों में से प्रत्येक राज्य को 1,000 रुपये की राशि।

यह राशि प्रति वर्ष 15 मार्च को या इससे पहले (वाहन के आर0 एल0 डब्ल्यू0 और पी0एल0डब्ल्यू0 की ओर ध्यान दिए बिना) रेखित बैंक ड्राफ्ट पेशगी अदा की जायेगी । इस प्रयोजन के लिए सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्य अपनी कराधान विधियों में उपयुक्त उपबन्ध बनायेंगे । प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य अन्य राज्यों की ओर से एक सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए पदाविहित करेगा । जिसे बाद में संबन्धित राज्यों को अन्तरित कर दिया जायेगा। ऐसा सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में प्राधिकरण पर मोहर लगायेगा और उसे पृष्ठांकित करेगा। ऐसे प्राधिकार के अन्तर्गत चल रहे किसी भी वाहन को ऐसे विधिमान्य पृष्ठांकन के न होने पर अनुज्ञापत्र की शर्त के उल्लंघन में चलाया जा रहा समझा जायेगा और मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 60 के अधीन उस अनुज्ञापत्र को निलम्बित और रद्द किया जा सकेगा । उपर्युक्त राशि में चुंगी आदि जैसे नगरपालिका सम्बन्धि उगाही शामिल नहीं होगी और संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी उन्हें अलग भुगतान करेगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि यह राशि उपयुक्त उपखण्ड (1) के अनुसार समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा करनी अपेक्षित होगी, वाहन का स्वामी अपने विकल्प पर यह राशि दो समान किस्तों में अदा कर सकता है । पहली किस्त अप्रैल-सितम्बर की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को अथवा इससे पहले । दूसरी किस्त अक्तूबर-मार्च की अवधि के लिए 15 सितम्बर (चालू वित्त वर्ष के) को यह या इससे पहले और अनुबन्ध 2 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी से इस कर को अदा कर दिये जाने का पृष्ठांकन प्राप्त करेगा ।

(3) संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह प्राधिकार देने के लिए प्रति वाहन प्रति तीन सौ रुपए के हिसाब से शुल्क का भुगतान करें और इसके लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसन परिचालन के लिए कितने राज्यों को चुना है। यह पूरी राशि अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी को बैंक ड्राफ्ट द्वारा यह विचार किए बिना पेशगी दी जाएगी कि क्या प्राधिकार वित्त वर्ष के शुरू में दिया जाता है या इसके बाद, जो उस राशि को अपने पास रखेगा ।

(4) यदि प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला वाहन प्राधिकार की वैधता के दौरान किसी/किन्हीं अवधि/अवधियों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता तो उप खण्ड (1), (3) और (7) के अधीन उस अवधि/अवधियों के लिए राशि वापिस नहीं की जाएगी।

(5) यदि प्रारम्भिक प्राधिकार वित्त वर्ष की पहली तिमाही के पश्चात् किसी समय दिया जाता है तो वित्त वर्ष की शेष तिमाहियों जिसमें वह तिमाही भी शामिल है जिसमें प्राधिकार दिया जाता है के लिए कर तथा अनुपात आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक तिमाही को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा न कि महीनों या दिनों के रूप में परन्तु पश्चात्वर्ती प्राधिकार के लिए यह राहत अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(6) यदि प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले वाहन को उस प्राधिकार की, जिसमें मूलतः अनुज्ञापत्र दिया है, पूर्व अनुमति के पश्चात् किसी अन्य उपयुक्त वाहन के साथ बदला जाए तो बदले गए वाहन का पंजीकरण चिन्ह प्राधिकार के अपने राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उल्लेख किया जाए और पहले से भुगतान किया गया कर, उस तिथि के बाद जब वाहन बदला गया, की अवधि के लिए बदले गए वाहन के लिए भुगतान किया गया कर समझा जाएगा ।

(7) यदि कोई परिचालक विहित अवधि के अन्दर संयुक्त कर का भुगतान नहीं करता, तो उसे एक हजार रुपयें के संयुक्त कर के अतिरिक्त सौ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रति मास या उसके किसी भाग के लिए

इस स्कीम में आन वाले ऐसे प्रत्येक राज्य, जिसके सम्बन्ध में भुगतान विलम्बित हुआ है, उक्त राशि सम्बद्ध राज्य के पदाविहित प्राधिकारी के नाम रेखित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगी और उसे प्राप्त होते ही सम्बद्ध राज्य को भेज दिया जाएगा। परिचालक से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने राज्यों के करों के भुगतान में हुई देरी के लिए अन्य जुर्माना भी अदा करे जो उस राज्य द्वारा अपने नियमों के अधीन लगाया जाए।

(क) यदि कोई संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी अपने वाहन को दूसरे वाहन से बदलने का प्रस्ताव रखता है तो बदला जाने वाला वाहन बदलने के लिए दिए गए आवेदन-पत्र की तिथि को चार वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।

VIII अपने राज्य का सक्षम प्राधिकारी दूसरे राज्य की ओर से, जसी भी स्थिति हो रेखित बैंक ड्राफ्टों के रूप में राशि प्राप्त करेगा। ये ड्राफ्ट सम्बद्ध राज्य के पदाविहित प्राधिकारी के नाम देय होंगे और उनके प्राप्त होते ही अपने राज्य द्वारा किये सम्बद्ध राज्य को भेज दिए जायगे और इनके साथ वाहन संख्या, बैंक ड्राफ्ट संख्या और तिथि तथा राशि, अवधि, जिसके लिये भुगतान किया जाता है, आदि के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र भी साथ भेजा जाएगा।

IX (क) इस करार को कार्य रूप देने के लिय अपने राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी अथवा प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, परस्पर करार में शामिल हस्ताक्षर कर्ता राज्यों में से किन्हीं तीन या अधिक राज्यों के लिये अन्तर्राज्जीय मार्ग/मार्गों अथवा क्षेत्रों, जसी भी स्थिति हो, के लिये संयुक्त अनुज्ञापत्र जारी करेगा, ऐसे संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी को निम्न पैरे म उल्लिखित मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 63 (1) के साथ पठित धारा 68 (2) (जज) के अधीन बनाये गये नियम का लाभ प्राप्त होगा और सक्षम प्राधिकारी इन संयुक्त अनुज्ञापत्र केवल भाग-ख की प्रतियां जारी करन के तीस दिन के अन्दर अन्य हस्ताक्षर कर्ता राज्यों को भेजेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्य धारा 63(1) के साथ पठित धारा 68 (ii) (जज) के अधीन उपर्युक्त नियम बनाएंगे ताकि अपने राज्य से भिन्न हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में से किसी भी अन्य राज्य द्वारा दिये गये संयुक्त अनुज्ञापत्रों को उन क्षेत्रों या अपने राज्य में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य बनाया जा सके और अपने राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची (अनुबन्ध-1) में विहित प्ररूप में प्राधिकार जारी करेगा।

(ग) ऐसे संयुक्त अनुज्ञापत्र अपने राज्य से भिन्न सभी हस्ताक्षरकर्ता में भी विधिमान्य होंगे जैसा कि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट है। इन राज मार्गों की सूची, यहां अनुसूची में संलग्न है। संयुक्त अनुज्ञापत्र अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों, जो समय समय पर संघ सरकार या सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें और जो अनुज्ञापत्र पर पृष्ठांकित किए जाते हैं, पर भी विधिमान्य होंगे।

X इस करार के अपना "राज्य" शब्द से अभिप्राय है, वह राज्य जिसके क्षेत्र में धारा 56 के अधीन संयुक्त अनुज्ञापत्र दिया गया है और जिसके लिये इस करार के अधीन प्राधिकार जारी किया जाता है।

XI इस करार के प्रयोजन के लिये "वर्ष" शब्द को "वित्त वर्ष" समझा जाएगा।

XII इस करार के प्रयोजन के लिये इस के दस पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को एक "राज्य" के रूप में समझा जाएगा।

हस्ता/-
सचिव, बिहार, सरकार परिवहन विभाग, पटना।
(बिहार के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
सचिव, राजस्थान सरकार गृह विभाग, जयपुर।
(राजस्थान के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ताक्षर/-
सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़।
(हरियाणा के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग, लखनऊ।
(उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)।

हस्ता/-
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग, शिमला।
(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार, गृह परिवहन विभाग, कलकत्ता।
(पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
(सचिव, जम्मू तथा काश्मीर सरकार परिवहन विभाग, जम्मू।
(जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
गृह सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।
(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
(सचिव, पंजाब सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़)।

(पंजाब के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से)

हस्ता/-
विशेष सचिव (परिवहन), देहली प्रशासन, देहली।
(भारत के राष्ट्रपति के लिय और उनकी ओर से)।

अनुबंध-I

विशेष परस्पर करार के अधीन प्राधिकार

(बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली राज्य में विधिमान्य)

1. पूरा नाम संख्या . .
(उपनाम से शुरू करके स्वामी का पूरा पता)
2. पंजीकरण चिह्न
3. इंजन संख्या
4. चैसिज संख्या
5. मूल अनुज्ञापत्र संख्या
6. अनुज्ञापत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
7. मेक
8. विनिर्माण का वर्ष
9. आर0 एल0 डब्ल्यू0
10. यू0 एल0 डब्ल्यू0
11. अर्जक भार (पे लोड)
12. प्राधिकार की विधिमान्यता की अवधि . . . . . से . . . . . तक

13. राज्यों के लिए विधिमान्य 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(सक्षम प्राधिकारी की मोहर) (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध–II

विशेष परस्पर करार के अधीन कर के भुगतान का प्रमाण-पत्र

वार्षिक कर की दर

राज्य का नाम	भुगतान की राशि	बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तथा तिथि	भुगतान की तिथि	अवधि जिसके लिए भुगतान किया गया	वाहन की पंजीकरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)।

संयुक्त अनुज्ञापत्र की शर्तों का सारांश

1. यह अपने राज्य से भिन्न परिचालन के लिए चुने गये हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहन को परिचालन का प्राधिकार देता है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की सूची यहां संलग्न है। वाहन ऐसे अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के लिए भी वैध होगा, जो संघ सरकार या सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें और जो अनुज्ञापत्र पर पृष्ठांकित किए जाते हैं।

वाहन को विनिर्दिष्ट मार्गों से किसी भी ओर 30 कि0 मी0 तक जाने का भी प्राधिकार प्राप्त होगा।

2. अपने राज्य से वाहन किसी क्षेत्र में परिचालन के समय ऐसा लोक वाहन विनिमयी राज्य की अधिकारिता के भीतर पूरी तरह आने वाले किन्हीं दो स्थानों के बीच से न तो माल चढ़ाएगा न ही उतारेगा अर्थात् ऐसे मामलों में वाहनों को किसी प्रकार के अंतर्राज्यीय कारोबार करने की मनाही होगी।

3. वाहन पर चाकलेट रंग में रोगन होगा, जिसका चौड़ा सफेद किनारा होगा और काली पृष्ठभूमि पर सफेद शब्दों में निम्नलिखित अभिलेख को दर्शाने वाला एक बोर्ड लोक वाहन बोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से लगाया जाएगा :—

*उत्कीर्ण लेख: विशेष परस्पर करार के अधीन अनुज्ञापत्र।

बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, चण्डीगढ़ और दिल्ली में विधिमान्य।

*उस राज्य का नाम काट दें जिस पर लागू नहीं होता।

वाहन में ड्राइवर की सीट के पीछे वाहन की पूरी चौड़ाई की एक सीट होगी ताकि दूसरा अतिरिक्त ड्राइवर उस पर आराम कर सके और सो सके।

4. वाहन में पड़े माल को अपने राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट रीति में लदान बिल हर समय वाहन में उपलब्ध होगा।

4-(क) यदि संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी अपना वाहन किसी दूसरे वाहन से बदलने का प्रस्ताव रखता है, तो बदला जाने वाला वाहन बदलने के लिए आवेदन-पत्र देने की तिथि को चार वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।

5. वाहन मोटरयान अधिनियम, 1939 के सभी उपबन्धों तथा अपने राज्य द्वारा विरचित मोटरयान नियम के उपबन्धों के ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लगाये जाएं अनुरूप होगा तथा उनका पालन करेगा।

6. वाहन के साथ हर समय मूल अनुज्ञापत्र के दस्तावेज और इस करार के अधीन जारी प्राधिकार रहेगा।

7. ऐसे प्राधिकार के अधीन चलने वाले, संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी प्रति वाहन पांच सौ रुपये की राशि का वार्षिक कर दिल्ली को उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित करों के बदले 250 रुपये प्रति वर्ष चण्डीगढ़ को, और बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, में से ऐसे प्रत्येक राज्य को जिसे उसने परिचालन के लिए चुना हो, अपने राज्य के मोटरयान कर और माल कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक हजार रुपये का भुगतान करेगा। यह राशि वाहन के आर0 एल0 डब्ल्यू0 की और ध्यान दिए बिना होगी और इसका भुगतान पेशगी में प्रतिवर्ष 15 मार्च को या इससे पहले कर दिया जाएगा।

संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी उक्त कर भुगतान अपने विकल्प पर दो किस्तों में कर सकता है, पहली किस्त अप्रैल-सितम्बर की अवधि के लिए (प्रतिवर्ष) 15 मार्च को या इससे पहले, और दूसरी किस्त अक्तूबर-मार्च की अवधि के लिए 15 सितम्बर (चालू वित्त वर्ष के) को या इससे पहले।

8. (i) संयुक्त अनुज्ञापत्र के प्रत्येक आवेदक को इस करार की तिथि से परिचालन के लिए कम से कम तीन राज्यों अर्थात् अपना राज्य और शेष नौ राज्यों में से कम से कम दो राज्यों को चुनना होगा।

(ii) यदि कोई संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी, परिचालक के लिए निकटवर्ती किसी ऐसे राज्य को नहीं चुनता जिससे उसके वाहन को स्कीम के अधीन परिचालन के लिए चुने गये किसी अन्य राज्य है, तो अनुज्ञापत्रधारी को रास्ते में पड़ने वाले राज्य को पूरे कर अदा करने पड़ेंगे।

(iii) किसी संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी द्वारा एक बार अपनाए गए विकल्प को एक वर्ष की अवधि से पहले बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) इस बात के होते हुए भी कि संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी को उपर्युक्त शर्त 8 (iii) के अनुसार एक बार लिए गए विकल्प को एक वर्ष की अवधि से पहले बदलने की अनुमति नहीं होगी, संयुक्त अनुज्ञापत्र अपने विकल्प से, अपने प्राधिकारी में "जोन" के अन्तर्गत आने वाले राज्य या राज्यों को मिलाने के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय आ सकता है, परन्तु यह तब जब कि वह वर्ष के लिए पूरे करों का भुगतान करने के लिए सहमत हो। एक बार

दिए गए प्राधिकार की अवधि के दौरान, एक बार चुन लिए गए राज्य अथवा राज्यों को बहिस्कृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. यदि कोई भी परिचालक, विहित अवधि के भीतर अपने संयुक्त कर का भुगतान नहीं करता, तो वह 1,000 रुपये के संयुक्त कर के अतिरिक्त स्कीम में शामिल राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए जिसके लिए भुगतान करने में देरी हुई, प्रति मास या उसके किसी भाग के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। उक्त राशि को सम्बद्ध राज्य के पदाविहित प्राधिकारी के नाम रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा और प्राप्त होते ही यह राशि सम्बद्ध राज्य को भेज दी जाएगी। परिचालक से यह भी आपेक्षा की जाएगी कि अपने राज्य के करों के भुगतान में भी देरी के लिए जुर्माना अदा करे जो उस राज्य द्वारा अपने नियमों के अधीन लगाया जाए।

10. यदि कोई संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी, पूर्व प्राधिकार की समाप्ति को तिथि से एक मास की अवधि के भीतर करार के अन्तर्गत परिचालन के लिए जाने वाले, अपेक्षित राज्यों की न्यूनतम संख्या के लिए प्राधिकारी के नवीकरण के लिये आवेदन नहीं देता तो उसका अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जायेगा।

अनुबंध–III

लदान पत्र

ट्रक सं0 बिल सं0 दिनांक

अनुज्ञापत्रधारी का नाम तथा पता
प्रेषक का नाम
प्रेषिती का नाम
गंतव्य स्थान

वस्तुओं की संख्या	माल का विवरण	सी0 डब्ल्यू0 टी0 वी0 एम0 डी0 एस0 के0 जी0	भुगतान किया गया भाड़ा प्रभार रु0	पै0	भुगतान किये जाने वाले भाड़ा प्रभार	जोड़	बिल सं0 तिथि प्राप्त किया——— से पैकेज ——— ट्रक सं0 ———

हस्ताक्षर।–

(वाहन चालक के हस्ताक्षर)

प्रेषक के हस्ताक्षर/–
वाहन चालक के जोखिम पर

माल का मूल्य ——————————— रुपये
———————————पर सौंपा गया।

टिप्पणी:–लदान-पत्र, प्रपत्र में होगा और चार प्रतियों में होगा। पहली मूल प्रति (सफेद) वाहन में उपलब्ध रहेगी, दूसरी प्रति (हल्की हरी) प्रषक के लिए होगी, तीसरी (गुलाबी) प्रेषिती के लिए होगी और चौथी (क्रीम पीली) अनुज्ञापत्रधारी के रिकार्ड के लिए होगी।

अनुबंध–IV

तिमाही विवरणी

1. परिचालक का नाम और पता
2. वाहन का पंजीकरण चिह्न
3. संयुक्त अनुज्ञापत्र संख्या

तिमाही के दौरान लगाए गए करों का सारांश

मास	बिल	निम्नलिखित राज्यों में तय की गई कुल दूरी				
		हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा काश्मीर	पंजाब	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7

उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	चण्डीगढ़	दिल्ली	कुल दूरी	विशेष कथन
8	9	10	11	12	13

तिथि: अनुज्ञापत्रधारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—विशेष कथन वाले खाने में किसी विशेष राज्य में कम अथवा अधिक परिचालन के कारण लिखें तथा ऐसे अन्य कारणों का उल्लेख करें जो कम परिचालन के कारण हों।

अनुबंध–V

रंग स्कीम और वाहन पर लगाए जाने वाले विशेष चिह्नों की विशिष्टियां तथा वाहनों के संनिर्माण

1. वाहनों पर चौड़े सफेद किनारों सहित चाकलेट रंग का रोगन होगा। वाहन के दोनों ओर बड़े-बड़े शब्दों में एक गोल दायरे में "उत्तरी जोन" ("एन जैड") लिखा होगा।

2. "लोक वाहन" के बोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से ऐसा बोर्ड भी जिस पर काली पृष्ठभूमि पर सफेद शब्दों में निम्न उत्कीर्ण लेख हो, लगाया जाएगा :—

विशेष परस्पर करार के अधीन संयुक्त अनुज्ञापत्र

*बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, चण्डीगढ़ और दिल्ली में विधिमान्य।

3. वाहन में जहां सम्भव हो, ड्राइवर की सीट के पीछे वाहन की पूरी चौड़ाई में एक सीट होगी जिससे दूसरे अतिरिक्त ड्राइवर को आराम करने और सोने की सुविधा मिल सके ।

*जिस राज्य को लागू न हो उसका नाम काट दें ।

NORTH ZONE RECIPROCAL AGREEMENT

Reciprocal agreement for public carriers between the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union territories of Delhi and Chandigarh.

This agreement made this 11th day of July, one thousand nine hundred and eighty-four between the Governor of Bihar of the one part, the Governor of Haryana of the second part, the Governor of Himachal Pradesh of the third part, the Governor of Punjab of the fourth part, the Governor of Rajasthan of the fifth part, the Governor of Uttar Pradesh of the sixth part, the Governor of West Bengal of the seventh part, the Governor of Jammu & Kashmir of the eighth part, the President of India for and on behalf of the Union territory of Chandigarh of the ninth part, the President of India for and on behalf of the Union territory of Delhi of the tenth part.

Whereas by an agreement dated the 24th September, 1981 between the parties of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth parts, the said parties entered into a reciprocal agreement with a view to encourage long distance inter-State transport of goods by and between the said States on the terms and conditions contained in the said agreement.

And whereas, by mutual agreement, the parties hereto have agreed to modify the terms and conditions of the said agreement dated the 24th September, 1981 and it has been decided to enter into an agreement as herein contained in partial modification of the existing agreement.

It is now agreed by and between the above parties as follows:

I. That this reciprocal agreement shall come into force on the 1st April, 1984 and shall remain valid upto the 31st March, 1989. It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this agreement. For reasons to be given in writing by any of the signatory States, this reciprocal agreement may be revoked on three months' notice. Such revocation shall, however, abridge and modify the operation of this agreement only in so far as i relates to withdrawing State subject to the condition that permits already issued under this agreement will continue to be valid till the expiry of those permits irrespective of withdrawal by the State or States from this agreement.

II. The total number of vehicles for which composite permits shall be issued shall not exceed 450 for each of the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Delhi. The composite permits issued by the competent transport authority of each signatory State shall be valid on all National and State Highways chosen for operation. A list of the National and State Highways in each signatory State is appended hereto as Annexure VI. The competent transport authority shall also issue to each of such permit holders an authorisation in the form annexed to this agreement (Annexure I) and such authorisation shall correspond to the period for which the advance payment has been received provided that the authorisation at one time shall not exceed period of one year. In case an authorisation is issued during the course of a year (financial year) it shall expire on 31st March of that year.

It shall, however, be open to any public carriers plying under such authorisation to deviate from the specified routes to the extent not exceeding 30 km on either side of the specified routes.

III. (*i*) Each applicant for a composite permit shall have to choose a minimum of three States *i.e.* the Home State and any two other States out of the remaining nine for operation with effect from the date of this agreement.

(*ii*) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit shall have to pay full taxes to the 'transit State'.

(*iii*) A composite permit holder of a State shall be allowed to operate in any other State, separately covered under a bilateral agreement, but the same vehicle will not be allowed to be used both for the composite permit scheme as also the bilateral agreement scheme in the same State.

(*iv*) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(*v*) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per sub-clause (*iv*) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year. During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States once opted shall be allowed.

IV. A public carrier operating under this agreement shall be free to operate without restriction of routes in the Home State whereas while operating in any area outside the Home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating States *i.e.* in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

V. A public carrier operating under this agreement shall be subject to the following limitations and restrictions :—

(1) No vehicle may be authorised under this agreement which—

(*a*) is more than four years old on the date of making application for grant of the authorisation and which is more than nine years old at any point of time;

(*b*) does not carry the prescribed markings and distinguishing particulars and is not painted in the prescribed colour scheme as provided in the schedule annexed hereto (Annexure V); and

(*c*) is not fitted with a body in conformity with the pattern as specified in the scheme annexed hereto (Annexure V).

(2) A public carrier plying under this agreement shall at all times carry a bill of lading in the form prescribed in the schedule annexed (Annexure III). Carriage of goods not in conformity with the declaration in the bill of lading shall be construed as infringement of the condition of the permit making the permit holder liable under Sec. 60 of M.V. Act, 1939.

(3) Such vehicles shall conform to and comply with all provisions of the M.V. Act, as well as the provisions of the Motor Vehicles Rules framed by the Home State subject to such restrictions as may be imposed by the State Governments from time to time under the provisions of the M.V. Act, 1939.

(4) A public carrier plying under this agreement shall be allowed to ply his vehicle on all National and State Highways in the signatory States chosen for operation. In particular in the case of vehicle in hilly areas of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, West Bengal etc. the operation will be subject to the load and other restrictions as may be imposed by the State Government concerned for any particular route/area. The (Home) State may make a suitable endorsement on the permit particularly in regard to the hilly State of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttar Pradesh etc. as necessary, that the heavier vehicles will not be allowed in the hilly region of these States.

(5) The certificate of fitness of such a vehicle shall be liable to be suspended or cancelled by the competent authority of the Home State if it is found to be not in conformity with the provisions relating to fittings, colour and body specification as detailed in the schedule annexed hereto (Annexure V).

(6) Such a vehicle shall at all times carry a valid authorisation in the form as detailed in the schedule annexed (Annexure I) hereto granted under that agreement and issued under the signature and seal of the competent transport authority of the Home State.

(7) Any authorisation holder plying under this agreement shall file a quarterly return in regard to such a vehicle in the form prescribed as detailed in the schedule annexed (Annexure IV) hereto in quintuplicate to the Secretary of the State Transport Authority of the Home State who, in turn, shall furnish copies thereof to the Secretaries, State Transport Authorities of the other signatory States.

(8) Such a vehicle shall at all times carry—

(*a*) a valid certificate of fitness;
(*b*) a certificate of registration; and
(*c*) bill/bills of lading covering goods actually carried in the vehicle at the moment.

VI. A vehicle plying under authorisation issued under the special agreement may be stopped and inspected for the purpose of enforcement of the provisions of this agreement by an officer of the rank of Assistant Inspector of Motor Vehicles or Sub-Inspector of Police or any other officer whose rank is mutually agreed upon by the signatory States. Such an Inspecting Officer shall issue a check report in triplicate, one copy of which shall be served on the person incharge of vehicle, the second copy shall be sent to the competent transport authority of the Home State and the third copy sent to the competent transport authority of the State concerned. The competent transport authority of the Home State, on receipt of the copy of the check report, may take such action as he may deem fit.

VII. (1) A composite permit holder plying under authorisation shall be liable to pay as under :—

(*a*) Motor Vehicles Tax and the Goods Tax obtaining in the Home State.
(*b*) A sum of Rs. 500/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (*a*) above to Delhi, in case it is opted for operation, a sum of Rs. 250/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (*a*) above to Chandigarh in case it is chosen for operation and a sum of Rs. 1000/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (*a*) above to each of the remaining States of his option other than the Home State.

This sum shall be paid in advance by a crossed bank draft on or before the 15th of March every year (irrespective of the RLW and PLW of the vehicle). For this purpose, all the signatory States shall make suitable provisions in their taxation laws. Each signatory State shall designate a competent authority for the purpose of receiving the amount mentioned above on behalf of other States wihch shall thereafter be transferred to the respective States. Such competent authority shall stamp and endorse the authorisation to that effect. Any vehicle plying under such an

authorisation in the absence of such valid endorsement shall be deemed to be plying in contravention of the condition of the permit and shall be liable to suspension and cancellation of the permit under section 60 of the M.V. Act, 1939.

The sum mentioned above will not be inclusive of municipal levies such as octroi etc. and composite permit holder will be liable to pay them separately.

(2) Notwithstanding that the amount is required to be paid for the whole year in advance as per sub-clause (1) above, the owner of the vehicle may at his option pay it in two equal instalments, the first on or before the 15th March every year for the period April-September and the second instalment on or before the 15th September (of the current financial year) for this tax from the competent authority of the Home State in certificate specified in Annexure II.

(3) A composite permit holder shall be required to pay a fee of Rs. 300/- per year per vehicle for grant of an authorisation irrespective of the number of States chosen for operation. This sum shall be paid in advance in full irrespective of whether authorisation is granted at the commencement of a financial year or after the commencement thereof by bank draft to the competent authority of the Home State who will retain the amount.

(4) If the vehicle covered by the authorisation is kept under non-use for a period/periods during the validity of the authorisation, no refund of amount under sub-clause (1), (3) and (7) for that period/periods will be allowed.

(5) If the initial authorisation is granted at any time after the first quarter of the financial year, the tax shall be assessed on prorata basis for the remaining quarters of the financial year including the quarter in which the authorisation is granted. For the purpose, a quarter shall be taken as a unit and not months and days provided that this relief shall not be admissible for subsequent authorisation.

(6) If the vehicle covered by the authorisation is sought to be replaced by another suitable vehicle after prior permission of the authority which originally granted the permit, the registration mark of the replaced vehicle may be noted by the Home State Transport Authority in the authorisation and the tax already paid shall be deemed to have been paid for the replaced vehicle for the period following the date on which the vehicle is replaced.

(7) If an operator does not pay his composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs.1000/-, an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent to the State concerned as and when received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of Home State taxes that might be imposed by that State under its own rules.

VII-A. If a composite permit holder proposes to replace his vehicle by another vehicle, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

VIII. The competent authority of the Home State shall receive the amount on behalf of the other State as the case may be in the form of crossed bank drafts. These drafts shall be made payable in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent by the Home State to the State concerned as and when received along with a statement showing the details of the vehicle number, bank draft number and date and amount, period for which paid etc.

IX. (A) For the implementation of this agreement the State Transport Authority or

Regional Transport Authority, as the case may be, of the Home State, shall issue composite permits for the inter-State route or routes or areas as the case may be, covered by this reciprocal agreement for any three or more of the signatory States, such a composite permit holder shall have the benefit of rule framed under Sec. 68 (2) (*hh*) read with Sec. 63 (1) of the M. V. Act, 1939, referred to in para below and the competent authority shall furnish copies of these composite permits (Para B only) to other signatory States within 30 days of issue.

(B) Further, all the signatory States shall frame a suitable rule under Sec. 68 (2) (*hh*) read with Sec. 63(1) to provide that the composite permits so granted by any of the signatory States other than the Home State shall be valid without counter-signatures in the areas of the Home State and the Secretary of the State Transport Authority or the competent authority, as the case may be, of the Home State shall issue an authorisation in the form prescribed in the schedule (Annexure I).

(C) Such composite permits shall be valid in all the signatory States other than the Home State as specified in the permit. A list of these Highways is annexed in the schedule hereto. The composite permits shall also be valid on such other National Highways and the State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Government concerned and which are endorsed on the permit.

X. In this agreement, the term 'Home State' means the State in the territory of which the composite permit under section 56 has been granted and authorisation therefor is issued under this agreement.

XI. For the purpose of this agreement, the term 'year' shall be deemed to be a financial year.

XII. For the purpose of this agreement, each of the ten parties hereto shall be deemed to be a 'State'.

Sd/-
State Transport Commissioner
Government of Bihar
Transport Department, Patna
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF BIHAR).

Sd/-
Secretary to Government of Uttar Pradesh
Transport Department, Lucknow
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH).

Sd/-
Secretary to Government of Haryana
Transport Department, Chandigarh
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF HARYANA).

Sd/-
Secretary to Government of West Bengal
Home (Transport) Department, Calcutta
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF WEST BENGAL)

Sd/-
Secretary to the Government of Himachal
Pradesh Transport Department, Shimla
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH).

Sd/-
Deputy Secretary, Home,
Chandigarh Administration, Chandigarh
(FOR & ON BEHALF OF THE PRESIDENT OF INDIA)

Sd/-
Secretary to Government of Jammu &
Kashmir Transport Department, Jammu
(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF JAMMU & KASHMIR).

Sd/-
Secretary (Transport)
Delhi Administration, Delhi
(FOR & ON BEHALF OF THE PRESIDENT OF INDIA).

Sd/-
Secretary to Government of Punjab
Transport Department, Chandigarh
(FOR & ON BEHALF OF THE
GOVERNOR OF PUNJAB)

Sd/-
Secretary to Government of Rajasthan
Home Department, Jaipur
(FOR & ON BEHALF OF THE
GOVERNOR OF RAJASTHAN).

ANNEXURE I

AUTHORISATION UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

(Valid in the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh & Delhi)

No.

1. Name in full (starting with surname and complete address of owner)
2. Registration mark
3. Engine No.
4. Chassis No.
5. Original Permit No.
6. Permit Issuing Authority
7. Make
8. Year of manufacture
9. RLW
10. ULW
11. Payload
12. Period of validity of the authorisation From To
13. Vaild for the States:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Signature of the competent authority)

(Seal of the competent authority).

ANNEXURE II

CERTIFICATE OF PAYMENT OF TAX UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

Name of the State	Rate of annual tax: Amount paid	Particulars of bank draft and date	Date of payment	Period for which paid	Registration No. of the vehicle
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(*Signature and seal of the authority*).

ABSTRACT OF CONDITIONS OF COMPOSITE PERMIT

1. This authorises the operation of the vehicle on the National and State Highways in the signatory States chosen for operation other than the Home State. A list of National and State Highways is annexed hereto. The vehicle shall also be valid on such other National Highways and State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Government concerned and which are endorsed on the permit.

The vehicle shall also be authorised to deviate upto 30 km. on either side of the specified routes.

2. While operating in any area outside the Home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State *i. e.* in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

3. The vehicle shall be painted in chocolate colour with broad white borders and board showing the following inscription in white letters on black background shall be carried prominently above the 'Public Carrier' board :—

Inscription.—Permit under special reciprocal agreement.
*Valid in Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Dehli

*States not applicable to be striked off.

The vehicle shall be provided with a seat across the full width of the vehicle behind the driver's seat providing for a spare driver to stretch himself and sleep.

4. The vehicle shall at all times carry the bill/bills of lading (in the manner directed by the STA, Home State) covering the goods in vehicle.

4A. If a composite permit holder proposes to replace his vehicle by another, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

5. The vehicle shall conform and comply with all the provisions of the M.V. Act, 1939 as well as the provisions of the M.V. Rules framed by the Home State subject to such restrictions as may be imposed by the Home State subject to such restrictions as may be imposed by the State Government from time to time under the provisions of the M.V. Act, 1939.

6. The vehicle shall at all times carry the original permit documents and the authorisation issued under this agreement.

7. A composite permit holder plying under such an authorisation shall be liable to pay an annual tax of a sum of Rs. 500/- per vehicle to Delhi, a sum of Rs. 250/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (2) above to Chandigarh and Rs. 1000/- per vehicle to each of the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal for which he has opted in addition to the Motor Vehicles Tax and Goods Tax, if any, of the Home State. This will be irrespective of the RLW of the vehicle and shall be paid in advance on or before the 15th of March every year.

The composite permit holder may, at his option, pay the above tax in two instalments, the first on or before the 15th March (every year) for the period April-September and the second instalment on or before the 15th September (of the current financial year) for the period October-March.

8. (*i*) Each applicant for a composite permit shall have to choose minimum of three States *i.e.* the Home State and any two other States out of the remaining nine, for operation with effect from the date of this agreement.

(*ii*) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit shall have to pay full taxes to the 'transit State' unless otherwise exempted.

(*iii*) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(*iv*) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per condition 8 (*iii*) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year. During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States once opted shall be allowed.

9. If an operator does not pay his composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs. 1000/-, an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent to the State concerned as and when received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of Home State taxes that might be imposed by that State under its own rules.

10. If a composite permit holder fails to apply for renewal of authorisation for minimum

number of States required to be chosen for operation under the agreement within a period of one month from the date of expiry of previous authorisation, his permit shall be liable to be cancelled.

ANNEXURE III

BILL OF LADING

Name and address of the permit holder Truck No. Bill No.
Name of the consignors Date
Name of the consignee
Destination

No. of articles	Description of goods	Cwt. B. Mds. Kg.	Freight Charge paid Rs. P.	Freight Charge to pay	Total	Bill No. Date Received——— Package——— from——— Truck No.——— Signature———

Signature of the carrier.

Signature of the consignor.

At carrier's risk.

At owner's risk.

Value of the goods Rs.———

Delivery at———

Note.—The bill of lading will be in the profroma given above and will be in quadruplicate, the original (white) to be carried in the vehicle, the duplicate (light green) for the consignor, the triplicate (pink) for the consignee, and the fourth copy (cream yellow) for record of the permit holder.

ANNEXURE-IV

QUARTERLY REPORT

1. Name of the operator and address
2. Registration mark of vehicle

3. Composite permit No.

Summary of trips made during the quarter

Month	Total distance covered in the State of					
	Bihar	Haryana	H. P.	J & K	Punjab	Rajasthan
1	2	3	4	5	6	7

Month	Total distance covered in the State of					Remarks
	U.P.	West Bengal	Chandigarh	Delhi	Total distance	
1	8	9	10	11	12	13

Date: *Signature of the permit holder.*

Note.—In remarks column, state reasons for low or high running in any particular State or States and any other points which caused low operations.

ANNEXURE-V

Specifications of the colour scheme and special markings to be carried on the vehicle and the construction of vehicles]

1. The vehicles shall be painted in cholcolate colour with board white borders. The words 'NZ' in big letters will be inscribed on two sides of the vehicles within a circle.
2. A board with the following inscription with white letters on black background shall also be carried so as to be clearly visible above the 'public carrier' board :—

Composite Permit

Under Special Reciprocal Agreement

*Valid in Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Dehli.

3. The vehicle shall be provided, wherever feasible, with a seat across the full width of the vehicle behind the driver's seat providing facility for the spare driver to stretch himself and sleep.

*Strke off the name of the State not applicable.

ANNEXURE VI

LIST OF STATE HIGHWAYS

Sr No. 1	No. of State Highways 2	Name of Road 3	Length in km 4
1.	1	Lal-ghat-Paonta-Rajban-Rohru-Sungri-Narkanda Road ..	231
2.	3	Kala Amb-Nahan-Dadahu-Chopal Road ..	176
3.	7	Banethi-Rajgarh-Chaila Road ..	156
4.	9	Shallaghat-Arki-Kunihar-Barotiwala Road ..	81
5.	11	Sainj-Luri-Banjar-Aut Road ..	88
6.	17	Shimla-Mandi-Road *via* Tattapani ..	185
7.	19	Ghumarwin-Sarkaghat-Jogindernagar Road ..	103
8.	21	Ghagas-Hari Talyanger-Bhota-Hamirpur-Nadaun-Jawalamukhi-Lotla Road ..	160
9.	23	Dharamshala-Kangra-Hoshiarpur-H. P. Boundary Road ..	114
10.	25	Nangal-Una-Amb-Mubarakpur-Talwara Road ..	61
11.	27	Pong Dam-Reh-Dhamota Nurpur-Malakwal-Chowari-Chamba Road ..	126
12.	29	Shahpur-Bakloh road ..	67
13.	33	Pathankot-Banikhet-Chamba road ..	71
14.	34.	Batheri-Sundla-Langora-Jammu Boundary road ..	95
15.	47	Ahju-Kharamukh-Chamba-Koti Tissar-Kilar road ..	317
16.	2	Kumar-hatti-Nahan-Paonta-Dehradun road ..	128
17.	6	Solan-Rajgarh-Meenus road ..	134
18.	8	Chhaila-Chopal-Shaloo road ..	84
19.	10	Theog-Kotkhai-Hatkoti road ..	70
20.	16	Shimla-Kunihar-Ramshehar-Nalagarh H. P. Boundary road ..	108
21.	12	Shimla-Mandi road *via* Bilaspur (Shimla to Nauni) ..	75
22.	32	Una-Aghar-Bhambla-Rewalsar-Mandi road ..	141
23.	24	Pathankot-Chakki-Mandi road ..	200
24.	36	Sansari-Kilar-Pangi-Udaipur-Thirot-Tandi road ..	146
25.	39	Hamirpur-Sujanpur Tira-Thural-Maranda road ..	56
26	30	Garamphoo-Rangrik-Sumdo road ..	233
		..	3406
27.	40	Ghatasani-Jhatingri-Tiun-Kamand-Katpula-Kandi-Rehla-Bajaura road ..	—
28.	—	Holta-Chadhiar-Serimolag-Harsi Pattan-Sandhole road ..	—
29.	42	Swarghat-Nalagarh-Barotiwala road ..	—
30.	—	Sungri-Bahli-Taklesh-Baran-Ghatti to Mashnoo with links Meshnoo-Sarahan to Jeori and Meshnoo Gaura to Rampur ..	—
31.	43	Shahpur-Patka-Chowari-Dalhousie road *via* Dahhiara and Hubar ..	—
32.	—	Mandi-Rewalsar-Chandesh-Rakhota-Masern Sarkaghat-Tihra Sandhol-Harsipattan-Alampur-Lohru-Nillian-Majheen-Nadaun-Jawalamukhi road ..	—

1	2	3	4
33.		Sujanpur Tihra-Sandhol-Mahri-Dharampur-Kotli-Mehdi road	—
34.		Bakrot-Sanarli-Keludhar-Kalu Luri to Sainj road ..	—
35.	—	Mandi-Nerchowk-Chail-Janjhalli-Chhatri-Ranabagh-Nagan road	—

LIST OF NATIONAL HIGHWAYS

Sr. No.	No. of National Highways	Name of road	Length in km.
1.	1-A	Jalandhar-Pathankot road ..	10.00
2.	21	Chandigarh-Kiratpur-Mandi-Kullu-Manali road ..	226.00
3.	22	Kalka-Shimla road ..	82.00
			318.00

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 मार्च, 1985/6 चैत्र, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE LOTTERIES

"GOLDEN WEEKLY"

Result of 62nd Draw held at Shimla on 22-3-1985

First Prize : (1) Rs. 1,00,000.00 GJ-565985

Consolation Prize: (2) Rs. 1,000.00 each GH-565985 GK-565985

Second Prize : (3) Rs. 20,000.00 each (One prize in each series) :

GH	GJ	GK
274832	587897	373521

Third Prize : (240) Rs. 500.00 each (All the ticket numbers ending with the last five digits in all series) :

10848	52637	36046	85635	70136
46618	48854	08379	55889	53449

Fourth Prize : (4800) Rs. 50.00 each (All the ticket numbers ending with the last four digits in all series) :

1104	8642	9107	4711	2626
1817	2332	0721	4517	7662
5021	8405	5967	1636	6924
3151	4417	0879	3152	5221

720-राजपत्र/85-27-3-85—1,140.

मूल्य: 20 पैसे।